बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

हमारा बिहार

सूचना

राज्य के 12 जिलों में 33 नये ऑगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हेतु दिनांक 21.12.2012 को प्रकाशित EOI के द्वारा प्राप्त आवेदनों की गठित समिति के द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर स्कुटनी करते हुए अहार्ता पूर्ण आवेदन एवं अहार्ता अपूर्ण आवेदन को सूचिबद्ध किया गया है। विज्ञापन के आलोक में समिति द्वारा निर्धारित बिन्दु निम्न है :–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में सभी कागजात के साथ देना अनिवार्य है।
2. आवेदन डाक द्वारा दिनांक 11.01.2013 तक निदेशालय कार्यालय में स्वीकृत होगा।
3. संस्था का Indian Societies Registration Act 1860 में निबंधन होना अनिवार्य है।
4. संस्था के पास तीन वर्ष का प्रशिक्षण देने का अनुभव अनिवार्य है।
5. संस्था द्वारा काली सूची में न होने का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है।
6. संस्था का आधारभूत संरचना भारत सरकार के निर्धारित मापदंड अनुसार होना अनिवार्य है।
7. संस्था के प्रशिक्षक एवं कर्मचारी की अहार्ता/अनुभव भारत सरकार के निर्धारित मापदंड अनुसार होना अनिवार्य है।
8. संस्था के प्रशिक्षक एवं कर्मचारी का बायोडाटा एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. एक से अधिक केन्द्र हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र देना अनिवार्य है।
10. संचालक मंडल के किसी सदस्य का अपराधिक मुकदमा में अभियुक्त नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
11. ऐसे आवेदन जिसमे एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक जिला के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिया गया है। इन आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।
12. ऐसे आवेदन जिसमें प्रतिवेदित जिले का नाम एवं पता दिया ही नहीं गया है, उसे अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त निर्धारित बिन्दुओं के आधार जो आवेदन चयन के योग्य नहीं पाये गये है उन आवेदनों से आपति पत्र 10 दिनों के अंदर आमंत्रित किया जाता है। शेष आवेदन जो मापदंड के अनुसार योग्य पाये गये है उनके संबंध में संबंधित जिला के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर प्राप्त किया जायेगा।

संयुक्त निदेशक

अहार्ता पूर्ण एवं अहार्ता अपूर्ण आवेदनों की सूची निम्नवत् है:–